<u>जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थों के 10 अतिरिक्त पदों के चयन हेतु विज्ञापन</u>

<u>विज्ञप्ति</u>

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या–2389/एसएलएसए–83/2025 (सन्दीप/ऋ) दिनांकित जुलाई 30, 2025 के अनुक्रम में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रेणीवार के अनुसार पर्याप्त संख्या में मध्यस्थों के 10 अतिरिक्त पदों को भरने हेतु चयन किया जाना है।

उ0प्र0 सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली–2021 के प्रस्तर 3 (1) के अन्तर्गत मध्यस्थों के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्रता निम्नलिखित है :–

(क) ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

(ख) सेवानिवृत्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

(ग) ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने–अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।

इसके अतिरिक्त प्रस्तर 5 में यह व्यवस्था दी गयी है।

निम्नलिखित व्यक्ति, मध्यस्थों के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे :–

1. ऐसा कोई व्यक्ति, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृतचित का घोषित किया गया हो।
2. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया हो।
3. ऐसा कोई व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
4. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियॉ प्रारम्भ की गयी हों या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो।
5. ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्ति, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाय।

मध्यस्थता हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 06.08.2025 से 14.08.2025 तक आवेदन रजिस्टर्ड डाक, जनपद न्यायालय की ई–मेल आई0डी0 dcbha@allahabadhighcourt.in, के द्वारा अथवा सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त आवेदन की मूल प्रति (Hard Copy) कार्यालय प्राधिकरण में दिनांक 14.08.2025 तक प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। दिनांक 14.08.2025 के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के कार्यालय अथवा जनपद न्यायालय भदोही की वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है। यदि अधिवक्ता द्वारा आवेदन किया जाता है तो उनके द्वारा संबंधित जिले के बार एशोसिएशन के अध्यक्ष/मंत्री द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र तथा बार कौंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

दिनांक–06.08.2025

(तरूणिमा पाण्डेय)
पूर्णकालिक सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही।

प्रतिलिपि –

1. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को जिला न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
2. प्रभारी नाजरात अनुभाग को जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
3. अध्यक्ष, जिला बार एशोसिएशन व दि सेन्ट्रेल बार एशोसिएशन को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी को जनपद भदोही को इस आशय से प्रेषित कि स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने हेतु।
6. जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रवेश द्वारा पर पर चस्पा किये जाने हेतु।

मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र

(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही)

(मध्यस्थ के रूप मे पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

स्व प्रमाणित फोटो

1. नाम :– ....

2. पिता / पति का नाम ....

3. पता–

(क) कार्यालय ....

(ख) निवास ....

4. दूरभाष संख्या :–

(क) कार्यालय ....

(ख) निवास ....

5. मोबाइल संख्या :–

(क) कार्यालय ....

(ख) निवास ....

6. ई–मेल आईडी :–..

7. शैक्षणिक अर्हताऍं–..

8. व्यवसायिक अर्हताऍं एवं अनुभव :–...

9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:–...

10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो :–........................

11 बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक :–...

(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)...

12. क्या आपके के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है ?

13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है?

14. क्या आपको दिवालिया न्यायानिर्णीत किया गया है या विकृतिचित्त का होना घोषित किया गया है?

15. क्या आपके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है?

मैं..एतद्द्वारा निवेदन करता हूॅ कि मैं...................................न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूॅ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थ नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिए अपनी सहमति देता हूॅ। यह आश्वासन देता हूॅ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम–22 में यथाविहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं भारत के उच्चतम् न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथाविहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूॅ। मैं घोषणा करता हूॅ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक –

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर